vinetur

पोलैंड के निचले सदन ने रात में शराब की अधिकांश टेकअवे बिक्री पर रोक वाले विधेयक को मंजूरी दी

कानून बनने पर इस उपाय से स्पिरिट्स विक्रेताओं के परमिट शुल्क दोगुने होंगे और यह 1 जनवरी, 2027 से लागू होगा।

शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026



पोलैंड की संसद के निचले सदन ने एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत 18% से अधिक अल्कोहल वाले स्पिरिट्स और अन्य पेय बेचने का लाइसेंस शुल्क दोगुना हो जाएगा। यह व्यापक प्रस्ताव का हिस्सा है, जिसमें कानून बनने पर देशभर में रात के समय शराब की ज्यादातर टेकअवे बिक्री पर रोक भी लगेगी।

सेज्म ने गुरुवार, 8 अक्टूबर को 400 के मुकाबले 29 वोटों से यह प्रस्ताव पारित किया ; 4 सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहे। अब विधेयक सीनेट में जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति Karol Nawrocki के पास पहुंचेगा, जो इसे मंजूरी देने या वीटो करने का फैसला करेंगे। प्रस्तावित नियम अभी लागू नहीं हैं। विधेयक के बाकी चरण पार होने पर बदलाव 1 जनवरी, 2027 से लागू होने की उम्मीद है।

विधेयक के तहत 18% से अधिक अल्कोहल वाले पेय बेचने के परमिट का वार्षिक शुल्क 2,100 ज़्लॉटी से बढ़कर 4,200 ज़्लॉटी हो जाएगा—यानी 2,100 ज़्लॉटी या 100% की वृद्धि। इसका असर वोडका, व्हिस्की, रम और अन्य डिस्टिल्ड स्पिरिट्स जैसे उत्पाद बेचने के लिए अधिकृत विक्रेताओं पर पड़ेगा। 18% तक अल्कोहल वाले पेयों का शुल्क भी दोगुना होकर 525 ज़्लॉटी से 1,050 ज़्लॉटी हो जाएगा।

इस प्रस्ताव में बाज़ार में प्रवेश की बढ़ी हुई लागत के साथ बिक्री के समय पर भी कड़ी पाबंदी लगाई गई है। देशभर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बिक्री स्थल से बाहर सेवन के लिए शराब बेचने पर रोक होगी। यह प्रतिबंध दुकानों और पेट्रोल पंपों से ले जाने के लिए शराब खरीदने पर लागू होगा, जबकि रेस्तरां, बार, पब, होटल और हवाई अड्डे इसके दायरे से बाहर रहेंगे।

खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रस्ताव का मतलब होगा कि रात में बिक्री की अवधि घटेगी और साथ ही लाइसेंस रखने की नियामकीय लागत बढ़ेगी। रात का यह प्रतिबंध मौजूदा स्थानीय नियमों के अलग-अलग स्वरूप के बजाय पूरे देश में लागू होगा। Warsaw, Krakow, Gdansk और Wroclaw समेत पोलैंड के कुछ शहरों में पहले से ही रात के समय शराब की बिक्री पर स्थानीय पाबंदियां हैं।

संसदीय बहस के दौरान सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य स्थानीय सरकारों की भूमिका बनाए रखते हुए पूरे पोलैंड में नियमों को एकसमान करना है। विधेयक के तहत नगरपालिका परिषदें शाम या सुबह के कुछ घंटों के दौरान अतिरिक्त पाबंदियां लगा सकेंगी।

यह कानून लाइसेंस शुल्क और बिक्री के समय से आगे भी जाता है। इसमें बीयर समेत सभी मादक पेयों के विज्ञापन और प्रचार पर सामान्य प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव है। सेज्म द्वारा मंजूर पाठ के अनुसार, उल्लंघन पर 30,000 ज़्लॉटी से 1 million ज़्लॉटी तक जुर्माना या स्वतंत्रता सीमित करने वाला दंड लगाया जा सकेगा।

इससे पोलैंड के शराब बाज़ार में बड़ा बदलाव आएगा, जहां कुछ शर्तों के तहत बीयर के विज्ञापनों की अनुमति रही है। विधेयक का समर्थन करने वाले अधिकारियों ने कहा कि नए नियमों का उद्देश्य बड़े पैमाने के प्रचार अभियानों और छूट के प्रस्तावों को रोकना है, जो उनके मुताबिक बिना सोचे-समझे शराब पीने को बढ़ावा देते हैं।

विधेयक बिक्री के समय उम्र की जांच के नियम भी सख्त करेगा। यदि विक्रेता को संदेह हो कि ग्राहक कानूनी उम्र का है या नहीं, तो उसकी उम्र की जांच करना वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य होगा। शराब की पैकेजिंग पर नई चेतावनी देना भी जरूरी होगा। इनमें गर्भावस्था के दौरान शराब पीने के जोखिम, नशे में वाहन चलाने पर प्रतिबंध और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों द्वारा शराब के सेवन से होने वाले नुकसान की चेतावनियां शामिल होंगी।

एक अन्य प्रावधान में छोटे आकार की शराब की पैकेजिंग को नियंत्रित किया जाएगा। 300 मिलीलीटर या उससे कम क्षमता वाले कंटेनर केवल कांच या धातु के बने होने चाहिए। पोलैंड के सांसदों ने एक ऐसा उपाय भी शामिल किया है, जिसके तहत सीमित शर्तों पर वाइन ऑनलाइन बेची जा सकेगी ; खरीदार को लाइसेंस प्राप्त बिक्री केंद्र से इसे लेना होगा और संग्रह के समय उसकी पहचान तथा उम्र की पुष्टि की जाएगी।

यह विधेयक सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टियों द्वारा समर्थित दो अलग-अलग संसदीय प्रस्तावों से बना है। इसके पारित होने से समर्थकों को जनस्वास्थ्य नीति के मोर्चे पर अहम जीत मिली है, लेकिन प्रस्ताव की ऊपरी सदन में समीक्षा और उसके बाद राष्ट्रपति के फैसले की प्रक्रिया अभी बाकी है।

यह बहस ऐसे समय हो रही है जब पोलैंड शराब की उपलब्धता पर राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कदम उठाने पर विचार कर रहा है। विधेयक के समर्थकों का कहना है कि जिन समुदायों ने देर रात बिक्री पर रोक लगाई, वहां अपराध और पुलिस की कार्रवाइयां कम हुईं। हालांकि, छोटे खुदरा विक्रेताओं और देर रात तक खुले रहने वाले आउटलेट्स पर इसके आर्थिक असर पर विधेयक की आगे की प्रक्रिया के दौरान करीबी नजर रहने की संभावना है।

जनमत बंटा हुआ दिखता है, लेकिन पैकेज के कम-से-कम एक प्रमुख हिस्से को व्यापक समर्थन हासिल है। अखबार Rzeczpospolita के लिए जून में किए गए IBRiS सर्वेक्षण में 55% उत्तरदाताओं ने देशव्यापी रात की शराब बिक्री पर प्रतिबंध का समर्थन किया, जबकि इस विचार का विरोध अलग-अलग राजनीतिक खेमों में अलग-अलग था।

तेज अल्कोहल वाली शराब बेचने वाले कारोबारों के लिए विधेयक का सबसे तात्कालिक वित्तीय असर परमिट शुल्क में बढ़ोतरी है। उपभोक्ताओं को सबसे साफ बदलाव देर रात टेकअवे खरीद पर देशव्यापी रोक के रूप में दिखेगा। फिलहाल, सीनेट की कार्रवाई और राष्ट्रपति के अंतिम फैसले तक दोनों बदलाव प्रस्ताव ही बने रहेंगे।